हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

6/8/24 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

20/8/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—मनोज , आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या — प्रार्थना पत्र 105/2023

अनवान प्रकरण

1—सुवालाल पिता गोपी बलाई निवासी हिसणिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
———प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब माण्डल तहसील माण्डल
(प्रार्थना पत्र — रास्ता कायमी हेतु अन्तर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

उपस्थितः— वकील प्रार्थी — श्री राजेश तिवाडी
अप्रार्थी सं0 . — पेरोकार तहसीलदार माण्डल

———0———

आदेश

दिनांक 20.08.2024

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

1—यह कि प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व की ग्राम हिसनिया पटवार हल्का हिसनिया भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल आलमास तहसील माण्डल में आराजी नम्बर 2231/2133 रकबा 0.0632 हैक्टर में स्थित है। जिसमें बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने हेतु एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रेकार्डेड या वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से मुझ प्रार्थी को काश्त करने एवं आराजी के विकास में परेशानी आ रही है। उक्त आराजी पर पहुंच हेतु आराजी नम्बर 1486 किस्म गेमु0 सड़क से लेकर ग्राम हिसणियां में स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1485 रकबा 0.1012 हैक्टर किस्म बंजड़ व आ0नं0 2088/1485 रकबा 0.1897 हैक्टर किस्म बंजड़ से होकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 2231/2133 रकबा 0.0632 हैक्टर में पहुंच हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसका आवेदक कई वर्षों से निरन्तर बिना किसी रूकावट के उपयोग करता हुआ चला आ रहा है। यही एकमात्र रास्ता है इसके सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त आराजी नम्बर 1485 व 2088/1485 बिलानाम में से 20 फीट चौड़ाई के रास्ते को पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शे में मार्क अ से व अनुसार कायम करा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की स्वीकृति हेतु यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की उपधारा (2) के तहत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की निर्धारित मुआवजा राशि जमा कराने हेतु तैयार है।

2—यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार माण्डल के पत्रांक/राजस्व/2024/1249 दिनांक 19.06.2024 से प्राप्त हुई। तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आ0नं0 2231/2133 पर आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है जो चालू है। खातेदार अपनी आराजी में पहुंच हेतु आ0नं0 1485, 2088/1485 से होकर आ—जा रहे हैं। मौके पर वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। यह कि प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 1485 रकबा 0.1012 है0 में से 0.0024 है0 तथा आ0नं0 2088/1485 में से 0.0048 है0 कुल कीता 2 कुल रकबा 0.0072 हैक्टर प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की टीआरए शाखा की गणना के अनुसार 8159.00 रूपये बनती है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट में लालस्याही से दर्शाया गया है।.....

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

3-प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया।

05-हमने वकील प्रार्थी की बहस के तथ्यों एवं प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 251-ए रा0का0अ0 व तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अध्ययन से यह जाहिर आया कि ग्राम हिसणिया की आराजी नम्बर 2231/2133 रकबा 0.0632 हैक्टर, नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 514 में श्री सुवालाल पिता गोपी बलाई सा0देह खातेदारी से दर्ज होकर व कब्जे में स्थित है। ऑनलाईन नक्शा एवं पटवारी हल्का हिसणिया की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आ0नं0 2231/2133 भगवानपुरा से हिसनिया की पक्की सड़क से लगती हुई है। प्रार्थी की आराजी एवं सड़क के मध्य बिलानाम आराजी नम्बर 1485 व 2088/1485 स्थित है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी में पहुंच हेतु रास्ते का उपयोग करता आ रहा है गेमु0 सड़क के आराजी नम्बर 1486 है। इसकी पुष्टि स्वयं तहसीलदार माण्डल ने अपनी रिपोर्ट में की है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी में पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रार्थी को अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु एवं अपने कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है जिसके लिए 20 फीट चौड़ा मार्ग पर्याप्त होकर प्रार्थी के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट दिनांक 19.05.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रार्थी की आराजी नम्बर 2231/2133 में पहुंच हेतु बिलानाम आ0नं0 1485 में से 0.0024 हैक्टर व आ0नं0 2088/1485 में से 0.0048 हैक्टर कुल 0.0072 हैक्टर रास्ते की भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग में ली जाने वाले रकबे की राशि 8159.00 रू0 जमा कराने पर सहमत है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)189 विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2016 में दिए गए निर्देशानुसार खातेदार को अपनी जोत पर पहुंच हेतु बिलानाम भूमि से भी रास्ता डीएलसी की दुगुनी राशि जमा कराने पर रास्ता दिया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए में रास्ता कायम किए जाने हेतु विधिक प्रावधान किए गए है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव :-

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए ग्राम हिसणिया की बिलानाम आराजी नम्बर 1485 में से रकबा 0.0024 हैक्टर व आ0नं0 2088/1485 में से रकबा 0.0048 हैक्टर कुल रकबा 0.0072 हैक्टर उक्त आराजीयात के पश्चिमी मेड पर उत्तर से दक्षिण तक नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते को नक्शे में अंकित करें । एवं उक्त 0.0072 हैक्टर को राजस्व रिकॉर्ड में गेमु0 रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की राशि राजकोष में जमा करादेवे तभी यह आदेश प्रभावी होगा।

आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा